



स्पाइसेस बोर्ड भारत

मसालों एवं पाक जड़ी-बूटियों से संबंधित कोडेक्स समिति (सीसीएससीएच) के सम्मेलन दस्तावेजों के अनुवाद कार्य हेतु पैनल में शामिल किए जाने के लिए अभिरुचि अभिव्यक्ति आमंत्रण सूचना

संदर्भ संख्या: एसबी/कोडेक्स/सीसीएससीएच/एम्पैनलमेंट/ अनुवाद सेवाएँ

दिनांक: 16 मार्च 2026

जारीकर्ता प्राधिकरण
कृते सचिव, स्पाइसेस बोर्ड
निदेशक (अनुसंधान)
स्पाइसेस बोर्ड
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
'सुगंधा भवन'
एन.एच. बाईपास, पालारिवट्टम पी.ओ.

कोच्चि - 682025

केरल, भारत

विषयसूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1	सूचना	3
2	परिचय	5
3	पैनल में शामिल होने हेतु ईओआई	5
4	कार्य का दायरा	5
5	अनिवार्य पात्रता मानदंड	6
6	सामान्य नियम एवं शर्तें	6
7	पैनल में शामिल करने हेतु चयन प्रक्रिया	7
8	ईओआई जमा करना	8
9	जमानत राशि(ईएमडी)	8
	अनुलग्नक	
10	अनुलग्नक-I: तकनीकी बोली	10
11	अनुलग्नक-II: आवेदक का विवरण	12

1. मसालों एवं पाक जड़ी-बूटियों से संबंधित कोडेक्स समिति (सीसीएससीएच) के विभिन्न सत्रों के सम्मेलन दस्तावेजों के अनुवाद कार्य हेतु पैनल में शामिल किए जाने के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रण सूचना

आगामी सत्रों के लिए सम्मेलन दस्तावेजों के अनुवाद कार्य को निष्पादित करने हेतु प्रतिष्ठित एवं सक्षम फर्मों से पैनल में शामिल किए जाने के लिए अभिरुचि अभिव्यक्तियाँ (ईओआई) आमंत्रित की जाती हैं। ये सत्र स्पाइसेस बोर्ड) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार (द्वारा आयोजित किए जाएंगे, जिनमें दो सत्र—सीसीएससीएच9 (संभावित रूप से वर्ष 2027 की पहली छमाही में (तथा सीसीएससीएच10 (संभावित रूप से वर्ष 2028 की दूसरी छमाही में) शामिल हैं। अभिरुचि अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रण सूचना बोर्ड की वेबसाइट (www.indianspices.com) तथा केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (<https://eprocure.gov.in/eprocure/app>) से डाउनलोड की जा सकती है।

ईओआई- डेटा शीट

क्र.सं.	संदर्भ	विवरण
1	संगठन का नाम	स्पाइसेस बोर्ड, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार
2	कार्य का नाम	धारा 3 एवं धारा 6.1 में वर्णित अनुसार, मसालों एवं पाक जड़ी-बूटियों पर कोडेक्स समिति (CCSCH) के दो सत्रों हेतु सम्मेलन दस्तावेजों के अनुवाद कार्य के लिए पैनल में शामिल करना
3	संदर्भ संख्या	एसबी/कोडेक्स/सीसीएससीएच/एमनलमेंट/ अनुवाद सेवाएँ
4	ईएमडी (वैध एमएसएमई पंजीकरण वाली एजेंसियों के लिए छूट)	1 लाख रुपये ('सचिव, स्पाइसेस बोर्ड' के पक्ष में कोच्ची में देय जारी डिमांड ड्राफ्ट)
5	बोली जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	6 अप्रैल 2026, सायं 4:00 बजे
6	बोली खोलने का स्थान, तिथि एवं समय	स्पाइसेस बोर्ड, सुगंधा भवन, एन.एच. बाईपास, पालारिवट्टम पी.ओ., कोचीन-25 7 अप्रैल 2026, सायं 4:00 बजे
7	संपर्क व्यक्ति	डॉ. एन. रमेश बाबू, आयोजन सचिव, सीसीएससीएच वैज्ञानिक 'सी', स्पाइसेस बोर्ड फ़ोन: 0484 2333 610, एक्सटेंशन: 520

2. परिचय

स्पाइसेज बोर्ड (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार) भारतीय मसालों के विकास और वैश्विक स्तर पर उनके प्रचार-प्रसार के लिए एक प्रमुख संगठन है। यह बोर्ड भारतीय निर्यातकों और विदेशों में स्थित आयातकों के बीच एक अंतरराष्ट्रीय सेतु के रूप में कार्य करता है।

मसालों और पाक जड़ी-बूटियों से संबंधित कोडेक्स समिति (सीसीएससीएच), कोडेक्स एलीमेंटेरियस आयोग (सीएसी) के अधीन एक सहायक निकाय है, जिसे एफएओ और डब्ल्यूएचओ द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य मसालों और पाक जड़ी-बूटियों के लिए कोडेक्स मानक विकसित करना है। भारत सीसीएससीएच का मेजबान देश है, और भारत की ओर से स्पाइसेस बोर्ड इस समिति के सचिवालय के रूप में कार्य करता है। अब तक स्पाइसेस बोर्ड ने सीसीएससीएच के 8 सत्रों की मेजबानी कर चुका है।

3. मसालों और पाक जड़ी-बूटियों से संबंधित कोडेक्स समिति (सीसीएससीएच) के विभिन्न सत्रों के सम्मेलन दस्तावेजों के अनुवाद कार्य हेतु पैनल में शामिल करने के लिए अभिरुचि अभिव्यक्ति (ईओआई)

भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन स्पाइसेस बोर्ड, सीसीएससीएच बैठकों से संबंधित दस्तावेजों के अंग्रेजी, स्पेनिश और फ्रेंच में अनुवाद हेतु अनुभवी और प्रतिष्ठित एजेंसियों से अभिरुचि अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करता है। यह कार्य दो सत्रों—सीसीएससीएच9 (संभावित रूप से 2027 के प्रथम छमाही में) और सीसीएससीएच10 (संभावित रूप से 2028 के द्वितीय छमाही में)—के लिए होगा।

जो इच्छुक और पात्र फर्मों इस दस्तावेज में निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हैं और निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन करने के लिए तैयार हैं, उनसे सहभागिता करने का अनुरोध किया जाता है।

जब भी अनुवाद कार्य की आवश्यकता होगी, पैनल में शामिल फर्मों से वित्तीय प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे, और कार्य उस एजेंसी को प्रदान किया जाएगा जो सबसे कम दर उद्धृत करेगी।

4. कार्य का दायरा

एम्पैनलमेंट पैनल अवधि के दौरान आवश्यक अनुवाद सेवाएं निम्नलिखित विवरण के अनुसार होंगी:

सत्र के दौरान अनुवाद : इसमें सीसीएससीएच सत्रों के दौरान तैयार किए गए सभी दस्तावेजों का समय-सीमा के भीतर अनुवाद करना शामिल है। इसमें सत्र के दिनों के दौरान अंग्रेजी में साझा किए गए स्रोत पाठ के आधार पर सीसीएससीएच सत्र रिपोर्ट का रातो-रात अनुवाद करना शामिल होगा और अंतिम दिन पर अंतिम रिपोर्ट को सामान्यतः 8-10 घंटों के भीतर अंग्रेजी से फ्रेंच और स्पेनिश में अनुवाद करना होगा। यह कार्य पूरे कार्य के लिए एकमुश्त दर पर किया जाना चाहिए। आवश्यक कार्य के विशेष विवरण निम्नलिखित हैं:

- एजेंसी को सीसीएससीएच सत्र की अवधि के लिए एक समर्पित अनुवाद समन्वयक तथा फ्रेंच और स्पेनिश भाषाओं के लिए योग्य अनुवादकों की टीम उपलब्ध करानी होगी।
- अनुवाद समन्वयक सीसीएससीएच सचिवालय (स्पाइसेस बोर्ड) और अनुवादकों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए जिम्मेदार होगा, ताकि निर्धारित समय-सीमा में अनुवाद कार्य प्रभावी रूप से पूरा किया जा सके। अनुवाद समन्वयक का सीसीएससीएच सत्र के आयोजन स्थल पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
- अनुवाद समन्वयक अनुवाद टीम के सदस्य के रूप में केवल एक भाषा अर्थात् फ्रेंच या स्पेनिश के लिए भी कार्य कर सकता है।
- फ्रेंच और स्पेनिश भाषा के लिए टीम में शामिल अनुवादकों के पास वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद का अनुभव होना चाहिए। इस निविदा के संदर्भ में “वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद अनुभव” का अर्थ है—विज्ञान/कृषि/गुणवत्ता विनिर्देश/निर्यात विनिर्देश/अंतरराष्ट्रीय मानक निर्धारण/खाद्य प्रौद्योगिकी/इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में आधिकारिक, समीक्षित (पीयर-रिव्यू) या नियामक दस्तावेजों के अनुवाद का प्रमाणित अनुभव।

- सत्र के दौरान दस्तावेजों के रातो-रात अनुवाद की आवश्यकता होगी। प्रत्येक सत्र दिवस के अंत में अंग्रेजी में लिखे दस्तावेजों के कुछ हिस्से(वर्ड फ़ाइलें) अनुवाद समन्वयक को प्रदान किए जाएंगे। इनका फ्रेंच और स्पेनिश भाषाओं में अनुवाद करके अगले दिन तक वापस करना होगा।
- सत्र रिपोर्ट को विभिन्न दस्तावेजों के भागों से संकलित किया जाएगा, उसे अंग्रेजी में अंतिम रूप दिया जाएगा और सत्र के चौथे दिन की रात तक अनुवाद समन्वयक को सौंप दिया जाएगा। इसमें पहले भेजे गए दस्तावेजों के कुद भागों में किए गए संशोधन शामिल हो सकते हैं, जिन्हें अनूदित दस्तावेजों में शामिल करना आवश्यक हो सकता है। स्पेनिश और फ्रेंच में अनूदित अंतिम रिपोर्ट चौथे दिन आधी रात तक / अधिकतम 5वें दिन सुबह 2 बजे तक वापस प्रस्तुत कर दी जानी चाहिए।
- प्रत्येक सत्र के दौरान लगभग 10,000 – 15,000 मूल शब्दों का अनुवाद करना होगा। यदि दस्तावेज मिश्रित भाषाओं में हों, तो आवश्यकता के अनुसार अलग-अलग अंग्रेजी, स्पेनिश और फ्रेंच दस्तावेज तैयार करने होंगे। शब्द संख्या में 30% तक का अंतर हो सकता है।
- यह कार्य पूरे कार्य के लिए एकमुश्त राशि पर किया जाना चाहिए, और जब सीसीएससीएच सत्र के लिए पैनल में शामिल एजेंसियों से वित्तीय बोलियां आमंत्रित की जाएं, तब उसी अनुसार दर उद्धृत की जानी चाहिए।
- स्पाइसेस बोर्ड अनुवाद समन्वयक / अनुवाद टीम के लिए यात्रा और आवास की व्यवस्था नहीं करेगा। यात्रा और आवास का खर्च एजेंसी को स्वयं वहन करना होगा।

5. पात्रता मानदंड और योग्यता संबंधी आवश्यकताएँ

1. आवेदक भारत में पंजीकृत एक विधिक इकाई होना चाहिए।
2. एजेंसी भारत में कहीं भी सेवा प्रदान करने में सक्षम होनी चाहिए।
3. एजेंसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि अनुवाद सेवा प्रदान करने वाली टीम के पास अनिवार्य रूप से अनुरोधित भाषाओं, अर्थात् अंग्रेजी, स्पेनिश और फ्रेंच में अनुवाद से संबंधित अनुभव होना अनिवार्य है।
4. विक्रेता (वेंडर) ने पिछले तीन कैलेंडर वर्षों, अर्थात् 2023, 2024 और 2025 के दौरान विदेशी भाषाओं में अनुवाद से संबंधित कम से कम तीन कार्य आदेश निष्पादित किए होने चाहिए। (यहाँ “विदेशी भाषा” से तात्पर्य अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त किसी भी भाषा से है, और इस संदर्भ में आगे भी इसी शब्द का उपयोग किया गया है।)
5. एजेंसी का पिछले तीन वित्तीय वर्षों (वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25) के दौरान औसत वार्षिक कारोबार कम से कम ₹25 लाख होना चाहिए।
6. एजेंसी को इस दस्तावेज के निम्नलिखित सेक्शनों में परिभाषित सभी नियम एवं शर्तों, पात्रता मानदंडों और क्षमता आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।

6. सामान्य नियम और शर्तें

1. एजेंसी का पैनल में चयन दो सत्रों, अर्थात् सीसीएससीएच9 (संभावित रूप से 2027 की प्रथम छमाही) और सीसीएससीएच10 (संभावित रूप से 2028 की द्वितीय छमाही) के लिए होगा, जब तक कि स्पाइसेस बोर्ड द्वारा सेवा में कमी, कार्य की निम्न गुणवत्ता, अनुबंध का उल्लंघन, या कार्य की आवश्यकता में कमी/समापन के कारण इसे सीमित या समाप्त न कर दिया जाए। एजेंसी के संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर बोर्ड द्वारा उचित समझे जाने पर पैनल में शामिल होने की अवधि को आगे के वर्षों के लिए बढ़ाया भी जा सकता है।
2. असंतोषजनक प्रदर्शन की स्थिति में एजेंसी को भविष्य की निविदाओं के लिए, यहाँ तक कि पैनल अवधि के दौरान भी, विचार से अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
3. एजेंसी को किसी भी राज्य या केंद्र सरकार के निकाय द्वारा काली सूची (ब्लैकलिस्ट) में शामिल नहीं होनी चाहिए।
4. यदि एजेंसी द्वारा प्रदान की गई सेवा असंतोषजनक पाई जाती है या पैनल में शामिल होने के लिए दी गई जानकारी किसी भी स्तर पर असत्य सिद्ध होती है, तो स्पाइसेस बोर्ड को अधिकार होगा कि वह एजेंसी को पैनल से हटाए तथा ईएमडी जब्त कर ले।

5. एजेंसी को इस अनुबंध के अंतर्गत अपने अधिकारों और दायित्वों को किसी अन्य कंपनी/फर्म/एजेंसी/ठेकेदार को, बोर्ड की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना, स्थानांतरित, हस्तांतरित, गिरवी या उप-ठेका देने की अनुमति नहीं होगी।
6. स्पाइसेस बोर्ड बिना कोई कारण बताए किसी भी आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
7. स्पाइसेस बोर्ड अग्रिम भुगतान नहीं करता है। अग्रिम भुगतान के किसी भी अनुरोध को सीधे अस्वीकार कर दिया जाएगा। तथापि, आपात स्थिति में तथा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त होने पर, अग्रिम भुगतान केवल समतुल्य बिना शर्त बैंक गारंटी के बदले ही जारी किया जाएगा।
8. केवल वही एजेंसियां पैनल में शामिल किए जाने के लिए विचार की जाएंगी, जो उपर्युक्त सभी नियमों एवं शर्तों से सहमत होंगी।

एक एजेंसी केवल एक ही प्रस्ताव जमा कर सकती है। यदि कोई एजेंसी एक से अधिक प्रस्ताव जमा करती है, तो ऐसे प्रस्तावों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। निर्धारित अंतिम तिथि और समय के बाद प्राप्त निविदाओं को बिना किसी अतिरिक्त सूचना के अस्वीकार कर दिया जाएगा।

निविदा प्रस्तुत करने में उल्लिखित सभी दस्तावेजों, जिनमें अनुलग्नक भी शामिल हैं, पर विधिवत हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और उन्हें केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (<https://eprocure.gov.in/eprocure/app>) पर अपलोड किया जाना चाहिए।

7. पैनल में शामिल होने के लिए चयन प्रक्रिया

- i. एजेंसियों की शॉर्टलिस्टिंग पूरी तरह से बिड में प्रस्तुत की गई जानकारी के आधार पर की जाएगी। एजेंसियों का मूल्यांकन समान सेवाएं प्रदान करने के उनके अनुभव के आधार पर किया जाएगा।
- ii. मूल्यांकन (स्कोरिंग) का पैटर्न निम्नानुसार होगा:

क्रमांक	विवरण	स्कोर गणना	न्यूनतम अंक
1.	विदेशी भाषाओं में अनुवाद से संबंधित आयोजनों में एजेंसी का अनुभव: <i>पिछले तीन कैलेंडर वर्षों, अर्थात् वर्ष 2023, 2024 और 2025 के दौरान ऐसे आयोजनों की संख्या, जिनमें कम से कम 2 विदेशी भाषाओं (अर्थात् अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त) के लिए अनुवाद सेवाओं का समन्वय किया गया हो।</i>	कम से कम 2 आयोजन: 15 अंक 2 से अधिक आयोजन : 25 अंक	15
2.	विदेशी भाषाओं में अनुवाद से संबंधित आयोजनों में अनुवाद समन्वयक का अनुभव: <i>पिछले तीन कैलेंडर वर्षों, अर्थात् वर्ष 2023, 2024 और 2025 के दौरान ऐसे आयोजनों की संख्या, जिनमें कम से कम 2 विदेशी भाषाओं (अर्थात् अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त) के लिए अनुवादकों के साथ अनुवाद सेवाओं का समन्वय किया गया हो।</i>	कम से कम 2 आयोजन: 15 अंक 2 से अधिक आयोजन : 25 अंक	15

क्रमांक	विवरण	स्कोर गणना	न्यूनतम अंक
3.	फ्रेंच अनुवादक(अनुवादकों) का अनुभव: पिछले तीन कैलेंडर वर्षों, अर्थात् वर्ष 2023, 2024 और 2025 के दौरान ऐसे आयोजनों की संख्या, जिनमें अंग्रेजी ↔ फ्रेंच के बीच वैज्ञानिक/तकनीकी अनुवाद सेवाएं प्रदान की गई हों।	कम से कम 2 आयोजन : 15 अंक 2 से अधिक आयोजन: 25 अंक	15
4.	स्पेनिश अनुवादक(अनुवादकों) का अनुभव: पिछले तीन कैलेंडर वर्षों, अर्थात् वर्ष 2023, 2024 और 2025 के दौरान ऐसे आयोजनों की संख्या, जिनमें अंग्रेजी ↔ स्पेनिश के बीच वैज्ञानिक/तकनीकी अनुवाद सेवाएं प्रदान की गई हों।	कम से कम 2 आयोजन : 15 अंक 2 से अधिक आयोजन : 25 अंक	15
		अधिकतम कुल अंक: 100	60

1. जो एजेंसियां उपरोक्त मूल्यांकन के अनुसार 60 या उससे अधिक अंक प्राप्त करेंगी, उन्हें पैनल में शामिल किए जाने हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। एजेंसियों को उनके प्राप्त अंकों के आधार पर रैंक किया जाएगा। रैंकिंग के आधार पर अधिकतम आठ एजेंसियों को पैनल में शामिल करने पर विचार किया जाएगा।
2. स्पाइसेज बोर्ड को यह अधिकार सुरक्षित है कि वह उपर्युक्त शर्तों में से किसी एक या सभी को बिना कोई कारण बताए संशोधित, परिवर्तित, जोड़े, हटाए, आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकार या अस्वीकार कर सके।
3. शॉर्टलिस्ट की गई एजेंसियों से, आवश्यकता अनुसार तथा किसी विशेष आयोजन की जरूरत के आधार पर, वित्तीय निविदा (और यदि आवश्यक समझा जाए तो तकनीकी निविदा भी) प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा।

8. अभिरुचि अभिव्यक्ति का प्रस्तुतिकरण

एजेंसी को अभिरुचि अभिव्यक्ति (ईओआई) निम्नलिखित के साथ प्रस्तुत करनी होगी: (क) अनुलग्नक में तकनीकी बोली और (ख) अनुलग्नक II में आवेदक का विवरण। साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेजी प्रमाण संलग्न करने होंगे।

9. ईएमडी

₹1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र) की ईएमडी किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) के रूप में 'सचिव, स्पाइसेस बोर्ड' के पक्ष में, कोचीन में देय के रूप में जमा करनी होगी। जिन एजेंसियों के पास वैध एमएसएमई पंजीकरण है, उन्हें ईएमडी जमा करने से छूट प्रदान की जाएगी।

अनुलग्नक I: तकनीकी बोली

तकनीकी निविदा के साथ एजेंसी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित एक आवरण पत्र (कविरंग लेटर) होना चाहिए, जिसमें तकनीकी निविदा में संलग्न अनुलग्नकों के रूप में शामिल दस्तावेजों की सूची दी गई हो। सभी दस्तावेजों को पीडीएफ प्रारूप में केंद्रीय सार्वजनिक खरीद (सीपीपी) पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए।

भाग क – सामान्य आवश्यकताओं के लिए दस्तावेजी प्रमाण

क्रमांक	आवश्यक दस्तावेज (अपलोड किए गए पीडीएफ में प्रत्येक दस्तावेज पर क्रमांक लिखा होना चाहिए)	खंड के लिए साक्ष्य
1.	पैन कार्ड और जीएसटी पंजीकरण की प्रति	5.1
2.	पिछले तीन कैलेंडर वर्षों, अर्थात् वर्ष 2023, 2024 और 2025 के दौरान विदेशी भाषाओं में अनुवाद से संबंधित आयोजनों के 3 कार्य आदेशों की प्रतियां।	5.4
3.	चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) द्वारा प्रमाणित विवरण, जिसमें कंपनी का औसत वार्षिक टर्नओवर (कम से कम ₹25 लाख) पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के लिए दर्शाया गया हो।	5.5
4.	एजेंसी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित स्व-घोषणा, जिसमें यह उल्लेख हो कि आवेदन करने वाली एजेंसी को किसी भी केंद्र या राज्य सरकार के निकाय द्वारा काली सूची (ब्लैकलिस्ट) में शामिल नहीं किया गया है।	6.3
5.	ईएमडी से छूट प्राप्त करने हेतु वैध एमएसएमई पंजीकरण प्रमाणपत्र अपलोड करें।	9

भाग ख – क्षमता आवश्यकताओं हेतु दस्तावेजी प्रमाण

नहीं।	आवश्यक दस्तावेज (अपलोड किए गए पीडीएफ में प्रत्येक दस्तावेज पर क्रमांक लिखा होना चाहिए)	खंड के लिए साक्ष्य
6.	विदेशी भाषाओं (अर्थात् अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त) में अनुवाद से संबंधित आयोजनों में एजेंसी का अनुभव: कम से कम 2 आयोजन। आयोजनों के नाम, तिथियां तथा अवधि का विवरण प्रस्तुत करें। ऐसे कार्य आदेश एवं पूर्णता प्रमाणपत्र या आयोजनकर्ताओं द्वारा जारी पत्र प्रस्तुत करें, जिनमें एजेंसी का नाम स्पष्ट रूप से उल्लेखित हो तथा आयोजन में उनकी भूमिका की पुष्टि की गई हो।	7.1
7.	समन्वयक अनुवादक की व्यावसायिक एवं शैक्षणिक योग्यता तथा संबंधित अनुभव :	7.2

	<p>(क) समन्वयक अनुवादक का बायोडाटा, जिसमें उसकी व्यावसायिक एवं शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुवाद समन्वय से संबंधित अनुभव का विवरण शामिल हो।</p> <p>(ख) अनुवाद समन्वयक के अनुभव का दस्तावेज़ी प्रमाण, जैसे अनुवाद एजेंसी या आयोजनकर्ता द्वारा जारी कार्य आदेश, न्यूनतम 2 आयोजनों के लिए होना चाहिए।</p>	
8.	<p>फ्रेंच अनुवादक(अनुवादकों) की व्यावसायिक एवं शैक्षणिक योग्यताएं तथा संबंधित अनुभवः</p> <p>प्रत्येक अनुवादक के लिएः</p> <p>(क) बायोडाटा, जिसमें व्यावसायिक एवं शैक्षणिक योग्यताएं तथा अंग्रेज़ी ↔ फ्रेंच अनुवाद में संबंधित अनुभव का विवरण शामिल हो।</p> <p>(ख) फ्रेंच अनुवादक(अनुवादकों) के वैज्ञानिक/तकनीकी अनुवाद अनुभव का दस्तावेज़ी प्रमाण, जैसे अनुवाद एजेंसी या आयोजनकर्ता द्वारा जारी कार्य आदेश, न्यूनतम 2 आयोजनों के लिए होने चाहिए।</p>	7.3
9.	<p>स्पेनिश अनुवादक(अनुवादकों) की व्यावसायिक एवं शैक्षणिक योग्यताएं तथा संबंधित अनुभवः</p> <p>प्रत्येक अनुवादक के लिएः</p> <p>(क) बायोडाटा), जिसमें व्यावसायिक एवं शैक्षणिक योग्यताएं तथा अंग्रेज़ी ↔ स्पेनिश अनुवाद में संबंधित अनुभव का विवरण हो।</p> <p>(ख) स्पेनिश अनुवादक(अनुवादकों) के वैज्ञानिक/तकनीकी अनुवाद अनुभव का दस्तावेज़ी प्रमाण, जैसे अनुवाद एजेंसी या आयोजनकर्ता द्वारा जारी कार्य आदेश, न्यूनतम 2 आयोजनों के लिए होने चाहिए।</p>	7.4
10.	<p>एजेंसी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित, निम्नलिखित उपबंध प्रस्तुत किए जाने आवश्यक हैंः</p> <p>वचनबद्धता 1: यह घोषित करते हुए कि अनुवाद समन्वयक सीसीएससीएच सत्र की अवधि के दौरान स्थल पर प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित रहेंगे) यह सत्र सामान्यतः लगभग 5 दिनों का होता है और लगभग 18 महीने के अंतराल पर आयोजित किया जाता है।</p> <p>वचनबद्धता 2: पैनल में शामिल एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि अनुवाद समन्वयक और अनुवादक (जिनके अनुभव के आधार पर पैनल में चयन किया गया है) अनुवाद सेवाएं प्रदान करेंगे। यदि अपरिहार्य कारणों से किसी का प्रतिस्थापन आवश्यक हो, तो प्रतिस्थापित व्यक्ति के पास ईओआई मानदंडों के अनुसार समान या अधिक योग्यता/अनुभव होना चाहिए। ऐसा कोई भी प्रतिस्थापन सत्र प्रारंभ होने से पूर्व स्पाइसेज़ बोर्ड की पूर्व लिखित स्वीकृति के अधीन होगा।</p>	-

अनुलग्नक II: एजेंसी का विवरण

क्रमांक	विनिर्देश	विवरण
	नाम	
	स्थापना वर्ष	
	पंजीकृत कार्यालय का पता	
	भारत में कहीं भी स्थित शाखाओं/सहयोगियों का विवरण	
	कंपनी प्रोफ़ाइल	
	एजेंसी की कानूनी स्थिति: (मालिक/साझेदारी/निजी लिमिटेड/सार्वजनिक लिमिटेड)	
	एजेंसी के सीईओ/प्रमुख के संपर्क विवरण: (नाम, पता, फ़ोन, ईमेल, गतिमान)	

(हस्ताक्षर और आवेदक का नाम)

(मुहर)

स्थान और दिनांक: